ज्योति कुमार कश्यप
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–xv (Successor), भागलपुर।
जमानत आवेदन संख्या– 296/2026 (साइबर थाना कांड संख्या–93/2025)
सिमरन बनाम् बिहार सरकार
दिनांक–07.05.2026

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–XV (Successor), भागलपुर।

जमानत आवेदन संख्या– 296/2026

संबंधित :– भागलपुर साइबर थाना कांड संख्या–93/2025

अन्तर्गत धारा– 318(4) भा0 न्या0 सं0 और 66 (c), 66 (d) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम–2000

सिमरन , उम्र– 28 वर्ष, पिता– संजय कुमार, सा0–वार्ड नं–4, हनुमानगढ़ी नेकछेद टोला, थाना–मोतिहारी टाउन, जिला–पूर्वी चम्पारण।

..... आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार

अपराधिक इतिहास– शून्य (जमानत आवेदन के पारा 3 के अनुसार)
आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता :– श्री सुबास चंद्र चौधरी
बिहार सरकार की तरफ से विद्वान अपर लोक अभियोजक :– श्री हरि कृष्ण सिंह

आदेश

07.05.2026

1. आवेदिका/अभियुक्त की ओर से भागलपुर साइबर थाना कांड संख्या–93/2025 अन्तर्गत धारा– 318(4) भा0 न्या0 सं0 और 66 (c), 66 (d) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम–2000 में जमानत हेतु आवेदन दिनांक–18.03.2026 को दाखिल किया गया। जिसमें आवेदिका अभियुक्त दिनांक–17.02.2026 से न्यायिक हिरासत में है। तत्पश्चात प्रस्तुत जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना।

2. आवेदिका/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदिका के द्वारा कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में दाखिल नही किया गया है। आवेदिका के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका का नाम प्राथमिकी में नहीं है। आवेदिका को झूठा फंसाया गया है। सूचक मो0 सरफराज उद्दीन द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसे CERBE IN नामक एक फर्जी निवेश मंच के माध्यम से धोखा दिया गया था, जहां अज्ञात व्यक्तियों ने उसे पैसे निवेश करने के लिए प्रेरित किया और बाद में उसका दुरूपयोग किया। जांच के दौरान मर्करी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विश्वास राजाराम सूर्यवंशही ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष एक विस्तृत लिखित आवेदिका प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके बैंक खाते एटीएम कार्ड, सिम कार्ड चेक बुक और मोबाइल फोन को कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने ले लिया और उनका दुरूपयोग किया, जिन्होंने उनकी जानकारी के बिना धोखाधड़ी से उनके खाते का सचांलन किया। स्वयं विश्वास राजाराम सूर्यवंशी के बयान के अनुसार प्रताप, अंकित गिरी, ज्ञांसु, आनंद गिरी और अन्य कुछ व्यक्तियों के पास उनके बैंक दस्तावेज और मोबाइल उपकरण थे और उन्होंने लेनदेन किए। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आवेदक की सूचक के बैंक खातों, मोबाइल फोन या वित्तीय दस्तावेजों तक पहुंच थी, और न ही ऐसा कोई सबूत है जो यह दर्शाता हो कि उसने लेनदेन किये। आवेदिका के पास से कोई राशि बरामद नहीं किया गया है। आवेदिका और सूचक का संपर्क कभी कभार होता था। आवेदिका लगभग 27 वर्ष की एक युवती है। और यह एक स्थापित सिद्धात है कि महिला आरोपियों के लिए जमानत पर विचार करते समय नरमी बरती जानी चाहिए। इस मामले में आवेदिका उचित बंधपत्र एवं प्रतिभूति देने के लिए तैयार है। अतः न्यायालय से प्रार्थना है कि उसे जमानत देने की कृपा की जाए।

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक– श्री हरि कृष्ण सिंह , द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

ज्योति कुमार कश्यप
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–xv (Successor), भागलपुर।
जमानत आवेदन संख्या– 296/2026 (साइबर थाना कांड संख्या–93/2025)
सिमरन बनाम् बिहार सरकार
दिनांक–07.05.2026

4. टंकित आवेदन के अवलोकन से यह विदित होता है दिनांक 20.08.2025 से 06.10.2025 के बीच मुझे CERBE IN नामक मोबाइल एप्लिकेशन के नाम से फर्जी स्टॉक/आईपीओ निवेश प्लेटफॉर्म चलाने वाले अज्ञात साइबर ठगों ने उनसे कुल 11090000 रुपये की धोखाधड़ी की। आरोप है कि सूचक से पहले संपर्क किया गया और उन्हें शेयर बाजार और आई.पी.ओ. निवेश से संबंधित एक व्हाट्सप समूह में जोड़ा गया, जहां जश सिंह और अन्य सहयोगियों ने उन्हें भारी मुनाफा कमाने के बहाने बड़ी रकम निवेश करने के लिए प्रेरित किया।

5. सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि अज्ञात के खिलाफ भा0 न्या0 सं0 की धारा– 318(4) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम–2000 की धारा– 66 (c), 66 (d) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आवेदिका का नाम अनुसंधान के दौरान आया है। आवेदिका पर मुख्य आरोप यह है कि आवेदिका संगठित साइबर धोखाधड़ी करते हुए सूचक के साथ कुल 11090000 रुपये का धोखाधड़ी की। । सूचक एवं साक्षियों ने आवेदिका के विरूद्ध लगाये गये आरोप की पुष्टि कांड दैनिकी के कंडिका 2, 3, एवं 4 में क्रमशः किया है। कंडिका 52 के अनुसार आवेदिका अभियुक्त का बात सचूक से हुई थी। एवं कंडिका 72 में आवेदिका ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में कही है कि इस साइबर ठगी मामले में उनकी संलिप्तता थी। अनुसंधान पूर्ण होने पर घटना को सत्य पाते हुए अनुसंधानकर्ता ने अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 16.04.2026 को आरोप पत्र दाखिल किया, एवं दिनांक 17.04.2026 को आवेदिका सिमरन के विरूद्ध श्री अंबुज कुमार दूबे, न्या0 दण्डा0, प्रथम श्रेणी, भागलपुर द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा–318(4) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम–2000 की धारा– 66 (c), 66 (d) के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है। प्राथमिकी धारा में से धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता गंभीर व अजमानतीय है।

6. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक के विरूद्ध विशिष्ट आरोप की प्रकृति और आवेदक द्वारा निभाई गई भूमिका के विचारोपरांत न्यायालय द्वारा आवेदक अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना उचित प्रतित नहीं होता है। तदनुसार, आवेदिका के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निष्पादन किया जाता है। आवेदिका को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह आरोप गठन के पश्चात पुनः जमानत के लिए अपनी याचिका को दाखिल कर सकते हैं।

मेरे द्वारा बोलकर लिखवाया और संशोधित

ह.अधो./–
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–xv,(Successor)
भागलपुर